

2023/145

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांक:-पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी अमरलाल पुत्र पुजारा राम जाति राजपूत ओड निवासी वार्ड नं0 2 खाटलबाना, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसान हेतु सदस्य प्रमाण पत्र, आई डी प्रूफ एवं मूल रसीद पेश कर निवेदन किया है कि मेरे पिता पुजाराराम पुत्र कालूराम जाति राजपूत ओड निवासी वार्ड नं0 2 खाटलबाना, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने एक बंद वसीयत दिनांक 25.06.2019 को कस्टडी में रखवाई थी। जिनका देहांत दिनांक 04.07.2022 को हो गया था। प्रार्थी ने उनके द्वारा दिनांक 25.06.2019 को रखवाई गयी बंद वसीयत को खोली जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थी को गवाहान कमलेश पत्नी जयचन्द एवं लाल चंद पुत्र रामचंद ने पहचाना है। प्रार्थी एवं गवाहों की शिनाख्त अधिवक्ता श्री रिशीपाल जोशी ने की है। अतः निर्धारित शुल्क जमा कर सील्ड पैकेट बंद लिफाफा खोले जाने हेतु प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

जिला पंजीयक/महोदय